

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।  
जी० आर० न०-117/2025  
थाना काण्ड संख्या - कुर्या 270/2024

12

दिनांक - 24.03.2026

जमानत प्राप्त अभियुक्तगण 1. यज्ञ नारायण द्विवेदी 2. वरुण कुमार द्विवेदी की हाजरी है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को पुलिस पेपर नकल प्रदान किया गया। मामलों में भा० न्या० संहि० की धारा-126(2), 115(2), 118(1), 110/3(5) के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। जो की सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

अतः संपूर्ण वाद दौरा सुपुर्द कर विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जहानाबाद के न्यायालय में भेजा जाता है। कार्यालय इसकी अधिसूचना तैयार कर संपूर्ण वाद विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जहानाबाद के न्यायालय में भेजे एवं इसकी एक प्रति विद्वान लोक अभियोजन पदाधिकारी को भी दे।

अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 17.06.202 को विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जहानाबाद के न्यायालय सदे उपस्थित रहें।

लेखापित

  
मुख्य न्यायिक दण्डाधिका